



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2018/भाद्र 26, 1940

No. 653]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018/BHADRA 26, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2018

सा. का. नि. 888(अ).—केन्द्रीय सरकार मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 2017 (2017 का 16) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय- I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र से प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—

(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संलक्षण (निवारण और नियंत्रण) नियम, 2017 (2017 का 16) अभिप्रेत है;

(ख) “समुचित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है;

- (i) केंद्रीय सरकार के मामले में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन; और
- (ii) राज्य सरकार के मामले में राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी;
- (ग) “उच्च भार जिले” से अभिप्रेत उस जिले से है जहां –
- (i) प्रहरी निगरानी में प्रसवपूर्व परिचर्या में एक प्रतिशत से अधिक का प्रचलन हो; या
- (ii) प्रहरी निगरानी में उच्च-जोखिम जनसंख्या में पांच प्रतिशत से अधिक का प्रचलन हो; या
- (iii) एकीकृत काउंसिलिंग और समय-समय पर केंद्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किए गए परीक्षण केंद्र में आम मरीजों में एचआईवी पाजिटिव राष्ट्रीय औसत से अधिक हो।
- (2) इसमें उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है।

## अध्याय – II

### स्थापनों के लिए एचआईवी और एड्स नीति को अधिसूचित किए जाने की विधि

3. केंद्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी स्थापनाओं के लिए मॉडल एचआईवी और एड्स नीति को अधिसूचित करने से पूर्व इस नीति के संबंध में-
- (क) एचआईवी पाजिटिव व्यक्तियों के प्रतिनिधियों सहित सभी पणधारकों;
- (ख) एचआईवी प्रभावित व्यक्तियों और संरक्षित किए गए व्यक्तियों;
- (ग) स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता;
- (घ) शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कर रही स्थापनाओं, विशेषज्ञों और एचआईवी तथा एड्स के क्षेत्र में कार्य रहे संगठनों, नियोजकों, ट्रेड यूनियनों एवं अन्य सुसंगत पणधारकों के साथ परामर्श करेगा।
4. केंद्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी राजपत्र में स्थापनाओं के लिए मॉडल एचआईवी और एड्स नीति अधिसूचित करेगा।
5. केंद्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी नियम 3 और 4 के अनुसार स्थापनाओं के लिए समय-समय पर मॉडल एचआईवी और एड्स नीति की पुनर्विलोकन करेगा तथा उसे अद्यतन करेगा।
6. (1) स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के उपबंधों का अनुपालन कर रही स्थापनों तथा एचआईवी के व्यावसायिक खुलासे की अत्यधिक जोखिम वाली दूसरी प्रत्येक स्थापनों में मॉडल एचआईवी और एड्स नीति लागू करने से कार्य करने में तथा अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप परीक्षण, उपचार और अनुसंधान के लिए संसूचित सहमति के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा।
- (2) किसी स्थापना पर लागू मॉडल एचआईवी और एड्स नीति, जिसमें 100 अथवा उससे अधिक व्यक्ति सम्मिलित हों, चाहे कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी या निदेशक अथवा न्यासी या प्रबंधक है, जैसा भी मामला हो, द्वारा अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुरूप एक शिकायत समाधान तंत्र की व्यवस्था की जाएगी।
- परन्तु स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों के मामले में स्थान पर और इस उप-नियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि “सौ अथवा अधिक” शब्दों के स्थान पर “बीस अथवा अधिक” शब्दों को रख दिया गया हो; और

7. (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू संशोधित और अद्यतन मॉडल एचआईवी और एड्स नीति को इसकी अधिसूचना होने पर प्रत्येक स्थापना द्वारा अंगीकार किया जाएगा।
- (2) स्थापन में कार्यरत सभी व्यक्तियों को एचआईवी और एड्स नीति के विषय की जानकारी स्थापना के प्रभारी व्यक्ति अथवा उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दी जाएगी।
- (3) प्रभारी व्यक्ति अथवा स्थापन हेतु उत्तरदायी व्यक्ति एचआईवी और एड्स नीति के पाठ को अंग्रेजी में अथवा कार्यरत अधिकांश व्यक्तियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में अथवा प्रवेश द्वार पर अथवा उसके समीप, जहां से कार्यरत अधिकांश व्यक्ति आते-जाते हैं, पर इस उद्देश्य हेतु लगाए गए विशेष बोर्डों पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करेगा।
- (4) स्थापन एचआईवी और एड्स नीति को समझने और इसके क्रियान्वयन के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करेगी।
8. (1) नियम 7 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट सूचना उस रीति में कथन करेगा, जिसमें एचआईवी और एड्स नीति की प्रतियां प्राप्त की जाएंगी और स्थापन में कार्यरत अथवा सेवाओं हेतु आने वाले व्यक्ति ऐसी नीति की निःशुल्क प्रतिलिपि पाने के हकदार होंगे।
- (2) स्थापनों की एचआईवी और एड्स नीति की प्रतियां उनके द्वारा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनके लिए नीति उपलब्ध कराई गई है, जिसमें उनकी वेबसाइट, यदि कोई हो, और नाममात्र मूल्य पर हार्डकॉपी उपलब्ध कराना सम्मिलित है।
- (3) प्रत्येक राज्य का समुचित प्राधिकारी सभी शैक्षणिक स्थापनाओं के प्रमुखों को एचआईवी तथा एड्स नीति की प्रति उपलब्ध कराएंगे, जो इन स्थापनों में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों को अथवा उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों को इन नीतियों की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।

### अध्याय – III

#### स्थापनाओं हेतु शिकायत निवारण प्रणाली

9. (1) सौ या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापन, जिसमें कर्मचारी अथवा अधिकारी अथवा निदेशक अथवा न्यासी अथवा प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के लागू होने के 180 दिनों के अंदर किसी वरिष्ठ पंक्ति के व्यक्ति को, द्वारा जैसा वह उचित समझे, शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो इन नियमों के अनुपालन में स्थापना में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायतों का समाधान करेगा।

परन्तु सौ या इससे अधिक कर्मचारियों वाले स्थापन की प्रत्येक शाखा, जिसमें कर्मचारी अथवा अधिकारी अथवा निदेशक अथवा न्यासी अथवा प्रबंधक, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के लागू होने के 180 दिनों के अंदर किसी वरिष्ठ पंक्ति के व्यक्ति को, द्वारा जैसा वह उचित समझे, शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो इन नियमों के अनुपालन में स्थापन में अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की शिकायतों का समाधान करेगा।

परन्तु आगे यह कि स्वास्थ्य देखरेख स्थापनों के मामले में, इस नियम के उपबंध इस तरह से लागू होंगे जैसे “सौ अथवा इससे अधिक” शब्दों के स्थान पर “बीस अथवा इससे अधिक” शब्दों को रखा गया है।

(2) स्थापन द्वारा नियुक्ति के 30 दिनों के अंदर, रोकथाम की सूचना, देखरेख, सहयोग तथा एचआईवी संबंधित उपचार, मानव लैंगिकता, यौन अभिमुखता तथा लिंग निर्धारण, नशीले पदार्थ का प्रयोग, सेक्स वर्क, एचआईवी संभावित व्यक्तियों, कलंक तथा भेदभाव, एचआईवी पीड़ितों के साथ घनिष्ठता बनाने के सिद्धांत, जोखिम कम

करने के उपाय आदि सहित इस अधिनियम के उपबंधों पर शिकायत अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान शिकायत अधिकारी को संरक्षित व्यक्तियों तथा एचआईवी संभावित व्यक्तियों सहित विशेषज्ञों की सहायता प्रदान की जाएगी।

**10.** (1) कोई भी व्यक्ति स्थापन में अधिनियम के कथित उल्लंघन की जानकारी मिलने के उपरांत तीन माह के भीतर शिकायत अधिकारी को शिकायत कर सकता है:

परन्तु शिकायत अधिकारी, लिखित में कारण अभिलेख करते हुए और तीन मास के लिए शिकायत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता कुछ परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय में शिकायत नहीं कर सका।

(2) प्रत्येक शिकायत, इन नियमों के साथ उपबद्ध प्ररूप में, लिखित में, की जाएगी:

परन्तु यह कि जहां लिखित में शिकायत नहीं की जा सकती है, शिकायत अधिकारी, शिकायतकर्ता को सभी प्रकार की युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा जिससे कि शिकायत लिखित में की जा सके।

(3) शिकायत अधिकारी व्यक्तिगत रूप में, अथवा डाक द्वारा अथवा फोन से अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत प्राप्त कर सकता है:

परन्तु यह कि स्थापन शिकायत अधिकारी नियुक्त किए जाने की 30 दिन की अवधि के भीतर समर्पित वेबसाइट, वेबपेज के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप में शिकायत की प्राप्ति अथवा शिकायत अधिकारी को शिकायतें भेजने के लिए सरकारी ई-मेल का पते प्रदान करने की रीति तय करेगी।

(4) शिकायत अधिकारी, शिकायत की प्राप्ति पर, शिकायतकर्ता को पावती देगा और मात्र उस उद्देश्य के लिए रखे गए रजिस्टर में शिकायत दर्ज करेगा।

(5) रजिस्टर में शिकायत की प्राप्ति का समय और की गई कार्रवाई की रजिस्टर में प्रविष्टि की जाएगी।

(6) रजिस्टर में प्रत्येक शिकायत को क्रमिक संख्या दी जाएगी।

(7) शिकायत अधिकारी अधिनियम की अधीन की गई शिकायत पर उद्देश्यपरक और स्वतंत्र रीति से कार्य करेगा।

(8) शिकायत अधिकारी शिकायत पर तत्परता से और किसी भी स्थिति में सात कार्य दिवसों के भीतर निर्णय लेगा:

परन्तु यह कि आपात मामले में अथवा स्वास्थ्य देखरेख के स्थापन के मामले में जहां यह उपबंधों में भेदभाव या फिर स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं के पहुँच अथवा सर्वाभौमिक सावधानियों के उपबंधों से संबंधित शिकायत है, शिकायत अधिकारी उसी दिन, जिस दिन उसे शिकायत प्राप्त होती है, निर्णय लेगा।

**11.** (1) शिकायत अधिकारी यदि संतुष्ट है कि अधिनियम का उल्लंघन हुआ है जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है-

(क) प्रथमतः, स्थापना को उल्लंघन सुधार के उपाए करने का निदेश देगा;

(ख) दूसरे, जिस व्यक्ति ने उल्लंघन किया है उसे परामर्श देगा और ऐसे व्यक्ति को एचआईवी और एड्स, अधिनियम के उपबंधों और नियमों तथा दिशा-निर्देशों, विशेषकर कलंक और भेदभाव से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा जो एक सप्ताह की अवधि का होगा और सामाजिक सेवा हेतु निर्धारित अवधि तय की जाएगी जिसमें एचआईवी और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिसिएंसी वायरस, संरक्षित व्यक्ति नेटवर्क हेतु कार्यरत

गैर-सरकारी संगठन के साथ कार्य करना सम्मिलित होगा, अथवा राज्य सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाएगी और हो सकता है कि उल्लंघनकर्ता का पर्यवेक्षण करने वाले को भी ऐसा प्रशिक्षण लेना हो।

(2) उसी व्यक्ति द्वारा पुनः अधिनियम का उल्लंघन करने पर शिकायत अधिकारी, स्थापन को विधि अनुसार उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है।

(3) शिकायत अधिकारी, शिकायत के संबंध में की गई कार्रवाई की शिकायतकर्ता को जानकारी देगा और यदि शिकायतकर्ता की गई कार्रवाई से असंतुष्ट हो तो उसको अधिकार होगा कि वह ओम्बड्समैन के पास जाए अथवा कोई अन्य उपयुक्त विधि कार्रवाई करे।

(4) शिकायत अधिकारी, शिकायत पर निर्णय के उपरांत निर्णय की तारीख से 10 दिन की अवधि में स्थापना को तथा शिकायत से संबद्ध पक्षकारों को निर्णय के संबंध में लिखित में कारण सूचित करेगा।

**12.** (1) शिकायत अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि शिकायत, इसकी प्रकार संख्या और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के अधीन उपयुक्त प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 11 और इसके अधीन नियम 13 के अंतर्गत, हर छः माह में दी जाए।

(2) शिकायत अधिकारी इस अधिनियम के नियम 13 और धारा 11 के उपबंधों के अध्ययन, यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायत, शिकायत की प्रकृति, शिकायत की संख्या और की गई कार्रवाई वार्षिक आधार पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट में अथवा संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित हो।

**13.** (1) शिकायत अधिकारी, संरक्षित व्यक्ति जो किसी शिकायत का हिस्सा है, के अनुरोध पर निम्नलिखित रीति से उक्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान के संरक्षण को सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:

(क) शिकायत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की एक प्रति फाइल करेगा जिसमें ऐसे संरक्षित व्यक्ति का नाम, पहचान और पहचान योग्य ब्यौरा दिया गया हो, और इसे बंद लिफाफे में शिकायत अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा;

(ख) उसके समक्ष आई शिकायतों में संलिप्त संरक्षित व्यक्ति को छद्म नाम प्रदान करेगा;

(ग) शिकायत अधिकारी के समक्ष आई शिकायतों में संलिप्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और उसके पहचान योग्य ब्यौरों को नियम 10 के उप-नियम 4 के तहत शिकायतों के रजिस्टर सहित शिकायतों के संबंध में शिकायत अधिकारी और संस्थान द्वारा सृजित सभी दस्तावेजों और रिकॉर्डों में छद्म नाम से प्रदर्शित किया जाएगा;

(घ) शिकायत अधिकारी के समक्ष आई शिकायत में संलिप्त संरक्षित व्यक्ति की पहचान और पहचान योग्य ब्यौरों को किसी भी व्यक्ति या सहायक और स्टाफ सहित उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रकट नहीं किया जाएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति शिकायत अधिकारी के समक्ष आई शिकायत के संबंध में कोई भी मामला तब तक मुद्रित या प्रकाशित नहीं कराएगा जब तक कि शिकायत में संलिप्त संरक्षित व्यक्तियों की पहचान सुरक्षित न की गई हो।

(3) शिकायत अधिकारी इस अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार आंकड़ों के संरक्षण के उपायों का अनुपालन करेगा।

**14.** प्रत्येक स्थापन जिसे शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है वह-

(क) अपने कर्मचारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए वार्षिक आधार पर कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम तथा शिकायत अधिकारी के लिए अभिमुखी कार्यक्रम कार्यक्रम संचालित करेगा;

(ख) शिकायत पर निर्णय लेने के लिए शिकायत अधिकारी को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा; और

(ग) ऐसी सूचना उपलब्ध कराएगा जो शिकायत अधिकारी द्वारा निर्णय लेने के लिए अपेक्षित है।

**15.** केन्द्रीय सरकार के अधीन समुचित प्राधिकारी-

(क) अधिनियम के उपबंधों जिसमें अधिकारों के समाधान से संबंधित उपबंध भी शामिल हैं, के प्रति सामान्य रूप से आम जनता और विशेष तौर पर संरक्षित व्यक्तियों, सिविल प्राधिकारियों और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की समझ को बढ़ाने के लिए सूचना शिक्षा, संचार और प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करेगा और इसका प्रसार करेगा;

(ख) ऐसे अभिमुखी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार करेगा और इनका प्रसार करेगा जिनका संस्थानों द्वारा नियम 9 के उपनियम 2 के तहत शिकायत अधिकारियों के प्रशिक्षण में और इस अधिनियम तथा नियम 11 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों का उल्लंघन करते पाए गए व्यक्तियों के परामर्श में प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) उच्च भार वाले जिलों में संस्थानों के लिए राज्य सरकार के अधीन ऐसे जिलों में समुचित प्राधिकारी और उनके शिकायत अधिकारियों के समन्वय में उक्त अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और आगे ऐसे प्रशिक्षण वार्षिक आधार पर प्रदान करेगा;

(घ) उच्च भार वाले जिलों में सिविल प्राधिकारियों और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों (आशा) और आंगनवाड़ी कर्मियों सहित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए राज्य सरकार के अधीन ऐसे जिलों में उपयुक्त प्राधिकारी के समन्वय में उक्त अधिनियम और नियमों के क्रियान्वयन पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और आगे ऐसे प्रशिक्षण वार्षिक आधार पर प्रदान करेगा।

**16.** इन नियमों में अंतर्विष्ट कुछ भी अन्य उपचारों के प्रति किसी व्यक्ति के अधिकार को प्रतिसिद्ध, सीमित या अन्यथा प्रतिबंधित करता हो परन्तु इस अधिनियम या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से निपटने के लिए कुछ समय के लिए बनाए गए किसी अन्य कानून के तहत उपबंधित न किया गया हो।

**प्ररूप****नियम 10 के अधीन शिकायत अधिकारी को शिकायत करने के लिए प्ररूप**

1. घटना की तारीख .....
2. घटना का स्थान .....
3. घटना का विवरण .....
4. घटना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या संस्थान.....

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान\*

नाम:

तारीख:

मोबाइल नं. या ईमेल या फैक्स या पता :

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु :

शिकायत संख्या: .....

\*जहां शिकायत मौखिक रूप से या टेलीफोन के माध्यम से प्राप्त होती है और शिकायत अधिकारी द्वारा लिख ली गई है वहां शिकायत अधिकारी प्रपत्र पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा।

[फा. सं. टी-11020/50/1999-नाको (पी एण्ड सी)]

आलोक सक्सेना, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****(National AIDS Control Organisation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th September, 2018

**G.S.R. 888I.**—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (16 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**Chapter – I****Preliminary**

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**-

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Human Immunodeficiency Virus and Acquired Immune Deficiency Syndrome (Prevention And Control) Act, 2017 (16 of 2017);

(b) "appropriate authority" means;

(i) the National AIDS Control Organisation in case of Central Government; and

(ii) the State AIDS Control Society in case of State Government;

(c) "high burden district" means a district which has-

(i) more than one percent prevalence among antenatal care in Sentinel Surveillance; or

(ii) more than five percent prevalence among high-risk population in Sentinel Surveillance; or

(iii) HIV positivity of more than national average among general clients in Integrated Counselling and Testing Centre notified by the appropriate authority under the Central Government from time to time;

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

**Chapter – II****Manner of Notifying HIV and AIDS Policy for Establishments**

**3.** The appropriate authority under the Central Government shall, before notifying a model HIV and AIDS policy for establishments consult -

(a) all stakeholders including representatives of HIV -positive persons;

(b) HIV -affected persons and protected persons;

(c) healthcare providers;

(d) establishments engaged in providing education, healthcare services, experts and organizations working in the field of HIV and AIDS, employers, trade unions, and other relevant stakeholders on such policy.



4. The appropriate authority under the Central Government shall notify a model HIV and AIDS policy for establishments in the Official Gazette.
5. The appropriate authority under the Central Government shall review and update from time to time the model HIV and AIDS policy for establishments in accordance with rules 3 and 4.
6. (1) The model HIV and AIDS policy applicable to an establishment, engaged in the provision of healthcare services and every other establishment where there is a significant risk of occupational exposure to HIV shall provide for a safe working environment and for informed consent for testing, treatment and research in accordance with the provisions of the Act.

(2) The model HIV and AIDS Policy applicable to an establishment consisting of one hundred or more persons, whether as an employee or officer or member or director or trustee or manager, as the case may be, shall provide for a grievance redressal mechanism in accordance with the provisions of the Act and these rules:

Provided that in the case of healthcare establishments, the provisions of this sub-rule shall have the effect as if for the words “one hundred or more”, the words “twenty or more” had been substituted.

7. (1) The model HIV and AIDS policy as may be applicable and as may be amended and updated from time to time by the appropriate authority under the Central Government shall be adopted by every establishment upon its notification.

(2) The text of the HIV and AIDS policy shall be communicated to all persons working in the establishment by the person in charge of or responsible to the establishment.

(3) The person in charge or responsible for the establishment shall prominently post the text of the HIV and AIDS policy as a notice in English and in the language understood by majority of persons working in or accessing such establishment on special boards to be maintained for such purpose, at or near the entrance through which the majority of the persons working in or accessing the services of the establishment enter such establishment.

(4) The establishment shall conduct annual training sessions for persons working in such establishment in understanding and implementing the HIV and AIDS policy.

8. (1) The notice referred to in sub- rule (3) of rule 7 shall state the manner in which copies of the HIV and AIDS policy shall be obtained and persons working in or accessing the services of the establishment shall be entitled to a copy of such policy free of charge.

(2) The copies of the HIV and AIDS policy of establishments shall be made available in the public domain by those to whom the policy has been made available including on their website if any and in case of hard copies for a nominal price.

(3) The appropriate authority of every State shall make available the copy of HIV and AIDS policy to heads of all educational establishments who shall further provide a copy of the policy to the learners and their parents or guardians free of charge immediately upon admission of the learner to the establishment.

### **Chapter – III**

#### **Grievance Redressal Mechanism for Establishments**

9. (1) Every establishment having one hundred or more persons, whether as an employee or officer or member or director or trustee or manager, as the case may be, shall within one hundred and eighty days of the commencement of the Act, designate such person of senior rank, as it deems fit, as the Complaints Officer who shall dispose of complaints of violations of the provisions of the Act in the establishment, in accordance with these rules:

Provided that every branch of an establishment having one hundred or more persons, whether as an employee or officer or member or director or trustee or manager, as the case may be, shall within one hundred and eighty days of the commencement of the Act, designate such person of senior rank, as it deems fit, as an additional Complaints Officer for such branch who shall dispose of complaints of violations of the provisions of the Act in the establishment, in accordance with these rules:

Provided further that in the case of healthcare establishments, the provisions of this rule shall have the effect as if for the words “one hundred or more”, the words “twenty or more” had been substituted.

(2) The establishment shall within thirty days of appointment, provide training to the Complaints Officer on the provisions of the Act including information on prevention, care, support and treatment related to HIV, human sexuality, sexual orientation and gender identity, drug use, sex work, people vulnerable to HIV, stigma and discrimination, principles of the greater involvement of people living with HIV, strategies of risk reduction, etc. During the training assistance of experts including protected persons and persons vulnerable to HIV may be provided to the Complaints Officer.

**10.** (1) Any person may make a complaint to the Complaints Officer, within three months from the date that the person making the complaint became aware of the alleged violation of the Act in the establishment:

Provided that the Complaints Officer may, for reasons to be recorded in writing, extend the time limit to make the complaint by a further period of three months, if he is satisfied that circumstances prevented the complainant from making the complaint within the stipulated period.

(2) Every complaint shall be made to the Complaints Officer in writing in the Form set annexed to these rules:

Provided that where a complaint cannot be made in writing the Complaints Officer shall render all reasonable assistance to the complainant to reduce the complaint in writing.

(3) The Complaints Officer may receive complaint made in person, or by post or telephonically or in electronic form:

Provided that the establishment shall within a period of thirty days of appointing the Complaints Officer, establish a method for receipt of complaints in electronic form either through dedicated website, webpage or by providing an official email address for the submission of complaints to the Complaints Officer.

(4) The Complaints Officer shall, on receipt of a complaint, provide an acknowledgment to the complainant and record the Complaint in a register to be kept solely for that purpose.

(5) The time of the complaint and the action taken on the complaint shall be entered in a register.

(6) Every complaint shall be numbered sequentially in the register.

(7) The Complaints Officer shall act in an objective and independent manner while deciding complaints made under the Act.

(8) The Complaints Officer shall decide a complaint promptly and in any case within seven working days:

Provided that in case of emergency or in the case of healthcare establishment where the complaint relates to discrimination in the provision of, or access to health care services or provision of universal precautions, the Complaints Officer shall decide the complaint on the same day on which he receives the complaint.

**11.** (1) The Complaints Officer, if satisfied that a violation of the Act has taken place as alleged in the complaint, shall-

(a) firstly, direct the establishment to take measures to rectify the violation;

(b) secondly, counsel the person who has committed the violation and require such person to undergo training in relation to HIV and AIDS, provisions of the Act, rules and guidelines, particularly in relation stigma and discrimination, for a period amounting to one week, and a fixed period of social service, which shall include working with a non-governmental organisation working on HIV and Acquired Immunodeficiency Virus, a protected person's network, or the appropriate authority under the State Government that shall be monitored, and may also require that the person supervising the violator undergo such training.

(2) Upon subsequent violation of the Act by the same person, the Complaints Officer may recommend the establishment to take disciplinary action in accordance with the law.

(3) The Complaints Officer shall inform the complainant of the action taken in relation to the complaint and of the complainant's right to approach the Ombudsman or to any other appropriate legal recourse in case the complainant is dissatisfied with the action taken.

(4) The Complaints Officer shall, on deciding a complaint, provide brief reasons in writing for the decision to the establishment and the concerned parties to the complaint within a period of ten days from the date of decision.

**12.** (1) The Complaints Officer shall ensure that the complaint, its nature and number and the action taken are reported to the appropriate authority under the Central Government every six months subject to the provisions of section 11 of the Act and rule 13 of these rules.

(2) The Complaints Officer shall ensure that the complaint, the nature of the complaint, the number of the complaint and the action taken are published on an annual basis or the establishment publishes annual report or on the website of the establishment or in such annual report, subject to the provisions of rule 13 and section 11 of the Act.

**13.** (1) The Complaints Officer shall, if requested by a protected person who is part of any complaint, ensure the protection of the identity of the protected person in the following manner, namely:-

(a) the Complaints Officer shall file one copy of the document bearing the full name, identity and identifying details of such protected person which shall be kept in a sealed cover and in safe custody with the Complaints Officer;

(b) the Complaints Officer shall provide pseudonyms to protected person involved in complaints before him;

(c) the identity of protected person involved in complaints before the Complaints Officer and their identifying details shall be displayed in pseudonym in all documentation and records generated by the Complaints Officer and the establishment in relation to the complaints including in the register of complaints under sub-rule (4) of rule 10;

(d) the identity and identifying details of the protected person involved in a complaint before the Complaints Officer shall not be revealed by any person or their representatives including assistants and staff.

(2) No person shall print or publish any matter in relation to a complaint before a Complaint Officer unless the identity of the protected persons in the complaint is protected.

(3) The Complaints Officer shall comply with the data protection measures in accordance with the provisions of section 11 of the Act.

**14.** Every establishment which requires to appoint a Complaints Officer shall-

(a) on an annual basis, organise workshops and awareness programmes for sensitising its employees with the provisions of the Act and orientation programmes for the Complaints Officer;

(b) provide necessary facilities for the Complaints Officer for deciding the complaint; and

(c) make available such information as the Complaints Officer may require in deciding the complaint.

**15.** The appropriate authority under the Central Government shall-

(a) develop and disseminate information, education, communication and training materials to advance the understanding of the public generally and in particular of protected persons, civil authorities and healthcare workers of the provisions of the Act including relating to redressal of rights;

(b) formulate and disseminate orientation and training programmes that may be used by establishments in the training of Complaints Officers under sub-rule (2) of rule 9 and in the counselling of persons found to have violated the provisions of the Act and clause (b) of sub-rule (1) of rule 11;

(c) provide training for the establishments in high burden districts, in coordination with the appropriate authority under the State Government and their Complaints officers in such districts on the implementation of the Act and the rules and shall further provide such trainings on an annual basis;

(d) provide training for civil authorities, and healthcare workers including Accredited Social Health Activists and Anganwadi Workers in high burden districts, in coordination with the appropriate authority under the State Government in such districts on the implementation of the Act and the rules and shall further provide such trainings on an annual basis.

**16.** Nothing contained in these rules prohibits, limits or otherwise restricts the right of a person to other remedies provided under the Act or any other law for the time being in force to address violations of the provisions of the Act.

---

**FORM****Form for making Complaint to Complaints Officer under rule 10**

1. Date of Incident \_\_\_\_\_
2. Place of Incident \_\_\_\_\_
3. Description of incident \_\_\_\_\_
4. Person or institution responsible for the incident \_\_\_\_\_

Signature or Thumb Impression of Complainant\*

Name:

Date:

Mobile No. or email or Fax or Address:

*For Official Use only:*

Complaint Number: \_\_\_\_\_

*\*Where the complaint is received orally or telephonically and reduced to writing by the Complaints Officer, the Complaints Officer shall sign and date the Form.*

[F. No. T-11020/50/1999-NACO (P&C)]

ALOK SAXENA, Jt. Secy.